बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांकः 10.11.24

संख्याः 1/सी0–1011/2025–सा0प्र0–20693/श्री हिमांशु शर्मा, भा0प्र0से0 (बी एच : 2011), विशेष सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–प्रभारी सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन (जीविका) प्रोत्साहन सोसाइटी–सह–राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन–सह–आयुक्त–स्व–रोजगार, ग्रामीण विकास विभाग) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड–लेवल–14 –₹1,44,200 –2,18,200/–) में दिनांक 01.01.2027 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

संख्याः 1/सी0–1011/2025–सा0प्र0–20694/श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा0प्र0से0 (बी एच : 2011), प्रबंध निदेशक, कम्फेड, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम, पटना/प्रभारी सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड–लेवल–14 –₹1,44,200 –2,18,200/–) में दिनांक 01.01.2027 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

संख्याः 1/सी0–1011/2025–सा0प्र0–20695/डॉ. निलेश रामचन्द्र देवरे, भा0प्र0से0 (बी एच : 2011), विशेष सचिव, सिविल विमानन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–प्रभारी सचिव, सिविल विमानन विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना/विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड–लेवल–14 –₹1,44,200 –2,18,200/–) में दिनांक 01.01.2027 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

कृ.पृ.उ.

संख्याः 1/सी0–1011/2025–सा0प्र0–20696/श्री उज्जवल कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच : 2011), विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड–लेवल–14 –₹1,44,200 –2,18,200/–) में दिनांक 01.01.2027 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

संख्याः 1/सी0–1011/2025–सा0प्र0–20697/श्री नरेश झा, भा0प्र0से0 (बी एच : 2011), बंदोबस्त पदाधिकारी, कटिहार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड–लेवल–14 –₹1,44,200 –2,18,200/–) में दिनांक 01.01.2027 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

संख्याः 1/सी0–1011/2025–सा0प्र0–20698/श्री ब्रजेश कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच : 2011), बंदोबस्त पदाधिकारी, मधेपुरा को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड–लेवल–14 –₹1,44,200 –2,18,200/–) में दिनांक 01.01.2027 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

संख्याः 1/सी0–1011/2025–सा0प्र0–20699/श्री नवीन कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच : 2011), विशेष सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–प्रभारी सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार–बियाडा, पटना) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड–लेवल–14–₹1,44,200–2,18,200/–) में दिनांक 01.01.2027 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

संख्याः 1/सी0–1011/2025–सा0प्र0–20700/श्री उदयन मिश्रा, भा0प्र0से0 (बी एच : 2011), विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–निदेशक, पर्यटन, बिहार) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड–लेवल–14 –₹1,44,200 –2,18,200/–) में दिनांक 01.01.2027 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

कृ.पृ.उ.

2. **श्री हिमांशु शर्मा, श्री शीर्षत कपिल अशोक, डॉ. निलेश रामचन्द्र देवरे एवं श्री उदयन मिश्रा द्वारा अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण–IV पूर्ण नहीं किया गया है । फलतः, उन्हें इस शर्त के साथ सचिव स्तर में प्रोन्नति प्रदान की गयी है कि आगामी सत्र में स्थान मिलने पर आलोच्य प्रशिक्षण अवश्य पूरा कर लेंगे।**

3. श्री उज्जवल कुमार सिंह (सेवानिवृत्ति की तिथि–31.01.2027) , श्री नरेश झा (सेवानिवृत्ति की तिथि–31.12.2027), श्री ब्रजेश कुमार (सेवानिवृत्ति की तिथि–31.03.2028) एवं श्री नवीन कुमार (सेवानिवृत्ति की तिथि–31.07.2029) की शेष सेवावधियॉं तीन वर्ष से कम रहने के कारण भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम–3(2) (iii) के अंतिम परन्तुक के अनुरुप उनके लिए अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण– IV की पूर्णता अपेक्षित नहीं है ।

4. **आलोच्य सभी अधिसूचनाएँ दिनांक 01.01.2027 अथवा उसके बाद की प्रभारग्रहण की तिथि से प्रभावी होंगी ।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10/11/26

(संजय कुमार)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः 1/सी0–1011/2025–सा0प्र0–20700**/पटना–15, दिनांकः** 10.11.26

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा–आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग/संबंधित कार्यालय/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार,पटना /मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/अवर सचिव(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार,

कृ.पृ.उ.

पटना/आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी०डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–1 एवं प्रशाखा–6) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. **जिन पदाधिकारियों को सशर्त प्रोन्नति दी गयी है, वे सभी प्रशिक्षण पूर्णता का प्रमाण संबंधित प्राधिकारों को समय पर उपलब्ध करा देंगे ।**

3. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:–

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, <u>to be exercised within one month from the date of such appointment,</u> for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

04/11/26

सरकार के विशेष सचिव ।